

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/बजट कक्ष/ 5357

भोपाल, दिनांक 31/10/19

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल सा. वनमंडल/होशंगाबाद सामान्य वनमंडल
हरदा सामान्य वनमंडल, मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-3054-04-337-9999-9136-वनोपज निकासी मार्ग का संधारण अंतर्गत
उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2019-20

- 0 -

विषयान्तर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये 10-3054-04-
337-9999-9136-वनोपज निकासी मार्ग का संधारण अंतर्गत उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में
निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है :-

(राशि रूपयों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अतिरिक्त आवंटन	रिमांक
वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल	1,50,000	आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 1821 दिनांक 22.10.2019 के संदर्भ में आवंटित।
वनमंडलाधिकारी होशंगाबाद सामान्य वनमंडल	3,00,000	आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 12409 दिनांक 23.10.2019 के संदर्भ में आवंटित।
वनमंडलाधिकारी हरदा सामान्य वनमंडल	1,50,000	मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त का पत्र क्रमांक 7506 दिनांक 24.10.2019 के संदर्भ में आवंटित।

अतिरिक्त बजट आवंटन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

- उक्त आवंटित राशि का व्यय वन वन वित्तीय नियमावली के अध्याय 10 के नियम 304 में वर्णित अनुसार वन मार्गों का संधारण कार्य कराया जाये।
- कार्य आयोजना में दर्शित वनमार्ग का ही संधारण किया जाये।
- वनमार्गों का एक पृथक रजिस्टर निम्न प्रपत्र अनुसार संधारित किया जाये -

प्रपत्र


क्र.	वनमार्ग का नाम	पहाड़ी (कि.मी. में)	मैदानी (कि.मी. में)	योग (कालम नं. 3 एवं 4 का योग कि.मी. में)	व्यय की गई राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6

- उक्त आवंटित राशि का व्यय किसी अन्य मद में न किया जाये।
- शासन एवं मुख्यालय द्वारा इस संबंध में व्यय हेतु समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(विभाष कुमार ठाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त होशंगाबाद एवं बैतूल मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल